

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज भावाराम पुत्र सवाजी माली, निवासी खारा कुआ, राजेन्द्र कॉलोनी, टेकरावास, भीनमाल जिला जालोर (राज.) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :- 81/2024 जीसीएमएस नं. :- 2024/149 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>15.10.2024</p>	<p align="center">-: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>पत्रावली आज पेश हुई।</li> <li>अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।</li> <li>लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर ने इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पाली से संबंधित होने के कारण आर टी आई की धारा 6(3) के तहत उनके कार्यालय के पत्र द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पाली को निर्धारित समयावधि में हस्तान्तरण करते हुए वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।</li> <li>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पाली को निर्धारित समयावधि में स्थानान्तरित कर दिया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पाली को आवेदन पत्र का निस्तारण करना चाहिए।</li> <li>अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, पाली को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे।</li> </ol> <p>निर्णय आज दिनांक 15.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो।</p> <p align="center">↓</p> <p align="center">(एल.एन. मंत्री) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली</p>	

